रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1965/कार्तिक 10, 1887

No. 277] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1965/KARTIKA 10, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय

(उद्योग विभाग)

निदेश

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1965

एस० ओ० 3410—जबकि भारत सरकार ने अपने अधिसूचित आदेश सं० एल० ई० आई० (ए)—26(15)/64 दिनांक 24 सितम्बर, 1965 में श्री यू० एन० राय, आई० ए० एस० को नियुक्ति मैसर्स हिन्दुस्तान वेहिकिल्स लि०, पटना (जिसका उल्लेख अब उपक्रम के रूप में किया जाएगा) के अधिकृत नियंत्रक के पद पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अन्तर्गत कर दी है ।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18 ख की उप-धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार उपरिलिखित अधिकृत नियंत्रक को निम्नलिखित निदेश देती है । नामतः—

(1) अधिकृत नियंत्रक प्रतिष्ठान के निदेशकों के सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा । चाहे वे शक्तियां कम्पनी अधिनियम 1956 से मिली हों, या औद्योगिक उपक्रम के अन्तरनियम ज्ञापन से या किसी अन्य साधन से मिली हों ।

(2) अधिकृत नियंत्रक की उपलब्धियों, भत्तों तथा अंशदान पर किया गया सम्पूर्ण व्यय प्रतिष्ठान की निधियों से किया जाएगा।

(3) बिहार सरकार द्वारा प्रतिष्ठान में विनियोजित की जाने वाली कार्य-वाहक पूंजी अथवा बिहार सरकार की गारण्टी पर वित्त-व्यवस्था करने वाली संस्थाओं से प्राप्त पूंजी के बदले, अधिकृत नियंत्रक उपक्रम की समस्त अस्तियां बिहार सरकार के नाम बन्धक रख देगा।

(4) अधिकृत नियंत्रक भावी हानियों, कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, आय कर, (यदि आवश्यक हो), मूल्य ह्रास के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने के बाद प्रतिष्ठान की भूतकाल की देनदारी के लिये वर्ष के अन्त में प्रतिष्ठान के शुद्ध लाभ का उपयोग करेगा तथा वह अंश धारियों को (अधिमान/साधारण) उस समय तक लाभांश का भुगतान नहीं करेगा जब तक कि कम्पनी की भूतकाल की देनदारियों का पूरी तरह भुगतान न हो जाए।

(5) अधिकृत नियंत्रक बिहार राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित लेखा अधिकारी को प्रतिष्ठान के चालू आंतरिक लेखे की जांच करने के लिये सभी सहायता देगा।

(6) अधिकृत नियंत्रक प्रतिष्ठान की ऐसे अधिकारियों से समय समय पर जांच कराने के लिये सभी सहूलियतें देगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार या बिहार सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किया जाय।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार या बिहार सरकार निदेश दे तो लेखा अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों का व्यय प्रतिष्ठान की निधियों से किया जायगा।

[सं० एल० ई० आई० (ए)–26(15)/64]

पी० एम० नायक,
संयुक्त सचिव।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965